

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80)(2)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2020-21/574

दिनांक- 30/09/2021

प्रेस-नोट

राजस्थान सरकार द्वारा घोषणा अनुरूप आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा संचालित कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 के लिए आवेदन करने की अन्तिम तिथि 30.04.2021 थी। उसके पश्चात् आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) एवं अनुसूचित जाति (SC) के लिए पोर्टल दिनांक-16.08.2021 से 30.09.2021 तक खुलवाया गया था। छात्रा/अभिभावक/महाविद्यालय से प्राप्त सुझाव अनुसार छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में सभी वर्गों की छात्राओं के लिए ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि 20.10.2021 की जाती है।

योजना से संबंधित नियम, दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in> के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध है।


30/09

(संदेश नायक, आई.ए.एस.)

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,
जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80)(2)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2020-21/575

दिनांक- 30/09/2021

प्रतिलिपि :- सम्पादक, राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर एवं दैनिक नवज्योति में छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए आगामी अंक में प्रकाशित करने का श्रम करें।



आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,
जयपुर

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80)(2)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2020-21/573


दिनांक : 30/09/2021

छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन

राजस्थान स्थित महाविद्यालयों में अध्ययनरत कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अन्तर्गत छात्राओं हेतु विभागीय वेबसाईट <https://hte.rajasthan.gov.in/> पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे जिनकी तिथि में निम्नानुसार अभिवृद्धि की जाती है-

| क्र. सं. | छात्रवृत्ति का नाम | वर्ष | पूर्व में पोर्टल बंद की अंतिम तिथि | अब पोर्टल बन्द की अंतिम तिथि |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------------|
| 1 | कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना | | | |
| | 1. उच्च शिक्षा विभाग(सभी वर्गों की छात्राओं हेतु) | 2020-21 | 30.04.2021 | 20.10.2021 |
| | 2. अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) | 2020-21 | 30.09.2021 | 20.10.2021 |
| | 3. अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की छात्राओं हेतु (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग) | 2020-21 | 30.04.2021 | 20.10.2021 |
| | 4. सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की छात्राओं हेतु (माध्यमिक शिक्षा विभाग) | 2020-21 | 30.09.2021 | 20.10.2021 |
| | 5. अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं हेतु (अल्पसंख्यक मामलात् विभाग) | 2020-21 | 30.04.2021 | 20.10.2021 |

योजना से संबंधित नियम, दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाईट <https://hte.rajasthan.gov.in/> के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित छात्रा/छात्राध्यापिका/अभिभावक योजनाओं से संबंधित दिशा-निर्देश, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भाँति अध्ययन कर ही आवेदन करें।


(संदेश नायक, आई.ए.एस.)

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर